न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 104/2023

1 देशराज सैनी पुत्र नानुराम जाति सेनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

2 पुजा सैनी आयु 18 साल पुत्री रतनगोपाल जाति सैनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

3 प्रभुदयाल पुत्र नानुराम जाति सैनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

4 मदनलाल सैनी पुत्र नानुराम जाति सेनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

5 मधु सैनी आयु 29 साल पुत्री रतनगोपाल जाति सैनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र गोरूराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

2 जीताराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

2/1 ओमप्रकाश पुत्र जीताराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। मृतक

2/1/1 संगीता पत्नी स्व. ओमप्रकाश

2/1/2 सुष्मिता पुत्री स्व. ओमप्रकाश

2/1/3 निशा पुत्री स्व. ओमप्रकाश

2/1/4 राहुल पुत्र स्व. ओमप्रकाश

2/1/5 अंकित पुत्र स्व. ओमप्रकाश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

2/2 केदार पुत्र जीताराम

2/3 कैलाश पुत्र जीताराम

2/4 कालुराम पुत्र जीताराम

2/5 ममता पुत्री जीताराम

2/6 परमेश्वरी पत्नी जीताराम

समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

3 गुल्लाराम उम्र 63 साल

4 माडुराम उम्र 62 साल पुत्रगण मालाराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

5 मंगतुराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

5/1 संतोष पत्नी

5/2 मुकेश पुत्र

5/3 रमेश पुत्र

5/4 मनीराम पुत्र

5/5 पिंटु पुत्र

5/6 अनिता पुत्री मंगतुराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

6 सुण्डी पुत्री मालाराम

7 पतासी पुत्री मालाराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

8 रूडाराम उम्र 60 साल पुत्र गणपत

9 ख्यालीराम उम्र 59 साल पुत्र गणपत

10 शंकरलाल उम्र 52 साल पुत्र गणपत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

11 राजेश कुमार उम्र 40 साल पुत्र घड़सीराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
12 राजस्थान ग्रामीण बैंक पौंख जरिये प्रबंधक
13 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेतड़ी जरिये प्रबंधक।
14 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
15 रोहित पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
मुकदमा उनवानी बनवारी बनाम रोहितकुमार वगै.
दावा बाबत विभाजन व स्थाई व्यादेश मु.नं. 73/2015
प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2018 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपील संख्या 105/2023

1 देशराज सैनी पुत्र नानुराम जाति सेनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 पुजा सैनी आयु 18 साल पुत्री रतनगोपाल जाति सैनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 प्रभुदयाल पुत्र नानुराम जाति सैनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 मदनलाल सैनी पुत्र नानुराम जाति सेनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

5 मधु सैनी आयु 29 साल पुत्री रतनगोपाल जाति सैनी निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र गोरूराम उम्र 60 साल जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 जीताराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2/1 ओमप्रकाश पुत्र जीताराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। मृतक
2/1/1 संगीता पत्नी स्व. ओमप्रकाश
2/1/2 सुष्मिता पुत्री स्व. ओमप्रकाश
2/1/3 निशा पुत्री स्व. ओमप्रकाश
2/1/4 राहुल पुत्र स्व. ओमप्रकाश
2/1/5 अंकित पुत्र स्व. ओमप्रकाश
समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2/2 केदार पुत्र जीताराम
2/3 कैलाश पुत्र जीताराम
2/4 कालुराम पुत्र जीताराम
2/5 ममता पुत्री जीताराम
2/6 परमेश्वरी पत्नी जीताराम
समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

3 गुल्लाराम उम्र 63 साल

4 माडुराम उम्र 62 साल पुत्रगण मालाराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

5 मंगतुराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

5/1 संतोष पत्नी

5/2 मुकेश पुत्र

5/3 रमेश पुत्र

5/4 मनीराम पुत्र

5/5 पिंटु पुत्र

5/6 अनिता पुत्री मंगतुराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

6 सुण्डी पुत्री मालाराम

7 पतासी पुत्री मालाराम जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

8 रूडाराम उम्र 60 साल पुत्र गणपत

9 ख्यालीराम उम्र 59 साल पुत्र गणपत

10 शंकरलाल उम्र 52 साल पुत्र गणपत

11 राजेश कुमार उम्र 40 साल पुत्र घड़सीराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

12 राजस्थान ग्रामीण बैंक पौंख जरिये प्रबंधक

13 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेतड़ी जरिये प्रबंधक।

14 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

15 रोहित पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी रामसागर तन दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय * सीकर * (झुंझुनूं)
सत्यमेव जयते

अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
मुकदमा उनवानी बनवारी बनाम रोहितकुमार वगै.
दावा बाबत विभाजन व स्थाई व्यादेश मु.नं. 73/2015
निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 01.09.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री तेजपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजवीर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 73/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 व 01.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 न एक वाद विभाजन व स्थाई व्यादेश बाबत भूमि खसरा नम्बर नया 173, 174, 175, 177, 421, 679/422 वाके ग्राम दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से कमशः प्राथमिक डिकी व अंतिम डिकी जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम दीपपुरा में भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 679/422 रकबा 0.05 हैक्टेयर कल खसरे 6 कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी अपीलार्थीगण की पूर्वज अणची पुत्री मालाराम एवं रेस्पोडेन्टगण की सह खातेदारी (**Co tenancy**) की भूमि रही है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज श्रीमती अणची पुत्री मालाराम 1/28 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट ख्याली 1/12, गुल्लाराम 1/28 हिस्सा, जीताराम 1/28 हिस्सा, पतासी 1/28 हिस्सा, बनवारीलाल 1/4 हिस्सा, मंगतुराम 1/28 हिस्सा, माडुराम 1/28 हिस्सा, रूड़ाराम 1/12 हिस्सा, राजेश कुमार 1/8 हिस्सा, रोहित कुमार 1/8 हिस्सा, शंकरलाल 1/12 हिस्सा, सुण्डी 1/28 हिस्सा रहा है। अणची का देहान्त 02.07.1987 को हो चुका है जिसके वारिसान अपीलार्थीगण है, मंगतुराम का देहान्त दिनांक 11.06.2022 को हो गया जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 5/1 लगायत 5/6 है। रेस्पोडेन्ट बनवारी ने अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध उक्त भूमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा दावा सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे अपीलार्थीगण की पूर्वज श्रीमती अणची जो 1/28 हिस्से की रिकार्डेड सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53:4 में आज्ञात्मक प्रावधान है कि विभाजन के दावे में सभी कोटीनेन्ट को पक्षकार बनाया जायेगा। सभी कोटीनेन्ट को पक्षकार बनाये वगै. विभाजन का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने बनवारी के दावे के अन्य रेस्पोडेन्टगण ने जवाब देही की उन्होंने भी अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाए जाने पर कोई जवाब देही नहीं की रेस्पोडेन्टगण ने साजसी तौर पर विचारण न्यायालय से दिनांक 22.05.2018 को निर्णय प्राप्त किया और उसी दिन प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार जारी की गई'— वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की की जाती है कि ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दीपपुरा में भूमि खसरा नम्बर 173, 174, 175, 177, 421, 679/422 किता 6 कुल रकबा 2.38 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा तय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो।' उक्त डिक्री में वादी बनवारी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की गई चुंकि अपीलार्थीगण/अपीलार्थीगण के पूर्वज अणची दावे में पक्षकार नहीं थी। इसलिये विभाजन के आधार पर इन्तकाल खोला गया उसमें नामान्तकरण संख्या 971 दिनांक 08.06.2023 अणची पुत्र माला के स्थान पर अपीलार्थीगण का नामान्तकरण न भरा जाकर प्रकियाधीन रखा गया है। डिकी राजस्व रिकार्ड एवं दावा में अंकित पक्षकारों के मध्य सही नहीं बनी चुंकि डिक्री में विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 के मध्य ही विभाजन किया गया जबकि अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदार को डिक्री में वंचित रखा गया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 01.09.2021 को लिखा है जिसमें न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2020 लिखा है पत्रावली में दिनांक 06.07.2020 कोई तारीख पेशी ही नहीं थी। प्राथमिक डिक्री 22.05.2018 को ही बन गई थी अंतिम डिक्री निर्णय के अनुसार नहीं होने के कारण भी खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में दावा में पक्षकार नहीं थे अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से प्रभावित होते है प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहते है इसलिये अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है इजाजत के लिये धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में प्रस्तुत होने पर अंतिम डिक्री जारी की है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हिस्से की भूमि न तो कम की गई है न ही विभाजन में कमत्तर भूमि दी गई है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट के अपील धारा 5, 96 एवं गुणावगुण पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की पूर्वज दावा दायरी के समय विवादित भूमि में 1/28 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। वादीगण ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पक्षकार संयोजित किये बिना विभाजन का वाद प्रस्तुत कर विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी में अणची देवी 1/28 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी ने राजस्व रिकार्ड में खातेदार के अंकन की जांच किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं थे। उनको विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय * सीकर *

विलम्ब को कंडोन किया जाता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के पूर्वज को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर